न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री अनुराग भार्गव आर0 ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 27/2020/अपील/एल0आर0एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांक 5.2..2020
किस्म अपीलः धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

मृतक गुलाब कंवर पत्नी अमरलाल जाति ब्राहमण जरिये कायम मुकाम पौत्र रघु पारिक आत्मज बाबूलाल पारीक जाति ब्राहमण निवासी लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बूंदी (राज0)।

.....अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बूंदी राज0।

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री तेजमल जेन अभिभाषक– अपीलार्थी
श्री सैफुद्धीन अंसारी राजकीय अभिभाषक– रेस्पो0

:: निर्णय ::

दिनांक 27.10.2021

अपीलार्थी द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, बूंदी ने प्रकरण सं0 94/प्रार्थना पत्र/15 अन्तर्गत नियम 17(4) राज0 उपनिवेशन अधिनियम, 1954 बउनवान सरकार जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बूंदी बनाम मृतक गुलाब कंवर पत्नी अमरलाल जाति ब्राहमण जरिये रघु पारिक आत्मज बाबूलाल पारीक जाति ब्राहमण निवासी लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बूंदी मे पारित निर्णय दिनांक 4.11.2019 की अप्रसन्नता से रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के सबंध में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सरकार जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बूंदी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17 (4) राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 अधीनस्थ न्यायालय मे पेश कर गुलाब कंवर पत्नी अमरलाल जाति ब्राहमण निवासी लाखेरी को किया गया भूमि आवंटन खसरा सं0 107 रकबा 1 बीघा एंव 301 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा (नये ख0 सं0 182 रकबा 0.15 है0 एंव 413 रकबा 0.19 है0) वाके ग्राम जाडला आदेश दिनांक 31.12.1988 को आवंटी का कभी कब्जा काश्त नही रहना तथा आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नही करने व आवंटी फोत हो जाना, तथा वर्तमान मे उक्त आराजी पर रघु पारीक गैरखातेदार दर्ज रेकार्ड होने से आवंटन निरस्त करने हेतु पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नही होने से प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर आवंटन आदेश दिनांक 31.12.88 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाकर भूमि को तत्काल कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड मे सिवायचक दर्ज करने का दिनांक 4.11.19 को जेरअपील निर्णय पारित किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक गुलाब कंवर के पक्ष मे दिनांक 31.12.88 को किया गया भूमि

आवंटन निरस्त करने मे त्रुटि की है, क्योंकि उक्त भूमि कीमतन आवंटित की गई थी ऐसी स्थिति मे कीमतन आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त नही किया जा सकता। केवल मात्र यदि कोई राशि बकाया हो तो उसे नियमानुसार वसूल किया जा सकता है। अपीलांट आवंटित भूमि की कीमत मय ब्याज जमा करवा चुका है इस कारण आवंटी ने दिनांक 24.12.93 एंव दिनांक 2.8.2003 को भी उपखण्ड अधिकारी को आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर आज तक कोई आदेश पारित नही किया ऐसी स्थिति मे आवंटन निरस्त करना सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। आवंटी वक्त आवंटन से ही निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है अतः 30 वर्ष पुराने आवंटन को अब निरस्त करना सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी आवंटी के कब्जे के संबध मे कोई जॉच नही की केवल मात्र तहसीलदार के कथन के आधार पर निर्णय पारित कर त्रुटि की है, जबकि वर्तमान मे भी अपीलांट का भूमि पर कब्जा काश्त है जिसके प्रमाण स्वरूप अपीलांट सं0 2073 से 2076 की गिरदावरी प्रस्तुत करता है जिससे अपीलांट के कब्जे की पुष्टि होती है साथ ही अपीलांट के पास सं0 2057 से 2060 एंव 2061 से 2064 तक की भी गिरदावरी उपलब्ध है जो प्रस्तुत की है जिससे भी अपीलांट की काश्त की पुष्टि होती है। अतः उक्त तथ्यों के मध्यनजर अपील स्वीकार कर जेरअपील आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जावे।

2 अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील, दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपील मीमों मे कहे गये कथनों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजी कीमतन आवंटित की गई थी जिसकी कोई राशि जमा कराने से बकाया नही है ऐसी स्थिति मे कीमतन आवंटित भूमि का आवंटन 30 वर्ष बाद निरस्त नही किया जा सकता। आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नही होने संबधी रेस्पो0 के कथन के संबध मे कोई रिकार्ड पत्रावली पर मौजूद नही है। जबकि वास्तविकता यह है कि सम्वत 2057–60, 2061–64, 2073–76 खसरा गिर0 अपीलांट द्वारा हस्तगत प्रकरण मे प्रस्तुत की है जिससे आवंटित भूमि पर उसका कब्जा काश्त होने की पुष्टि होती है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों की कोई जांच नही कर तहसीलदार के निराधार कथन के आधार पर आवंटन निरस्त करने मे त्रुटि की है। बहस मे आगे यह भी जाहिर किया कि आवंटी द्वारा खातेदारी अधिकार दिये जाने के संबध मे उपखण्ड अधिकारी को 2 बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये किन्तु उन पर आज तक कोई कार्यवाही नही की गई। अतः उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिविरूद्ध होने से अपास्त किया जाकर आवंटन आदेश बहाल रखा जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे बताया कि तहसीलदार इन्द्रगढ द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही करने एंव भूमि पर आज तक कब्जा काश्त नही होना स्पष्ट होता है। उक्त तथ्यों के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटन आदेश दिनांक 31.12.88 को जेरअपील निर्णय से निरस्त किया है जिसमे किसी प्रकार का विधिक दोष नही है। अतः अपील खारिज की जावे।

5. हमने पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन करने उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि मिसल सं0 63/88 अनुसार दिनांक 31.12.88 को अपीलग्रस्त भूमि श्रीमती गुलाबकंवर पत्नी अमरलाल ब्राहमण नि0 लाखेरी को आवंटन किया गया था। तहसीलदार द्वारा आवंटी का आवंटन भूमि पर कब्जा काश्त नही होना वर्णित करते हुये आवंटन निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रथम अपीलीय न्यायालय मे पेश किया गया। जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने जेरअपील निर्णय दिनांक 4.11.2019 से स्वीकार कर आवंटन आदेश दिनांक 31.12.88 निरस्त कर अपीलग्रस्त भूमि को सिवायचक दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि आवंटित भूमि कीमतन आवंटन की गई थी जिसकी कोई राशि जमा कराने से शेष नही है। आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नही होने के संबध मे पत्रावली मे कोई रेकार्ड उपलब्ध नही है जबकि मुताबिक राजस्व रेकार्ड ख0 गिर0 सम्वत 2057–60, 2061–64, 2073–76 से आज भी भूमि पर उसका कब्जा काश्त होने की पुष्टि होती है ऐसी स्थिति मे 30 वर्ष पुराने कीमतन किये गये आवंटन को आज निरस्त नही किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना जेरअपील निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रेकार्ड/आधार अभिलेख से अपीलांट के उक्त कथन की पुष्टि होती है। प्रकरण मे ऐसा कोई राजस्व रिकार्ड उपलब्ध नही है जिससे आवंटित भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त नही होना तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही किया जाना प्रकट करते हो। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे उक्त तथ्यों का समुचित परीक्षण किये बिना मात्र तहसीलदार इन्द्रगढ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17 (4) राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 को आधार बना कर अपीलग्रस्त भूमि का 30 वर्ष पूर्व कीमतन किये गये आवंटन को निरस्त करने मे त्रुटि की है। ऐसी स्थिति मे हम अधीनस्थ न्यायालय के आलौच्य निर्णय दिनांक 4.11.2019 को न्यायोचित नही पाते है। परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर बूंदी द्वारा पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 4.11.2019 अपास्त किया जाता है।

6 निर्णय आज दिनांक 27.10.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया/टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अनुराग भार्गव)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा